

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद देते हुए निर्देश दिये गये कि:-

- श्रीमती मैना पत्नी श्री राजेन्द्र निवासी चिड़ी महारन टोला तम्बीर जनपद सीतापुर दावा प्रपत्र में संलग्न ओपीडी0 पर्चा (जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है) में दिनांक 11.11.2014 को यूरिन प्रैगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तथा अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट करवाने हेतु सलाह दी गई है परन्तु श्रीमती मैना द्वारा दिनांक 28.02.2015 को अल्ट्रासाउण्ड कराया है तथा क्लेम 26.03.2015 को किया गया है। इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति से समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर से इस सम्बन्ध में आख्या लिया जाये।
- समिति द्वारा जिन दावा प्रपत्रों में त्रुटियाँ पाई जाती है, से लाभार्थियों को भी अवगत कराने हेतु समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र प्रेषित किया जाये।
- प्रायः समिति द्वारा देखा जा रहा है कि जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय उपसमिति द्वारा अपूर्ण दावा प्रपत्र निदेशालय को उपलब्ध कराये जा रहे है, जो कि उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस आशय के पत्र प्रेषित किये जाये कि भविष्य में अपूर्ण दावा प्रपत्र निदेशालय को उपलब्ध न कराया जाये।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(डा० रश्मि मिश्रा)
इम्पैनल्ड स्त्री रोग विशेषज्ञ,
अव० महि० चिकित्सालय, लखनऊ
सदस्य

(डा० आर०के० गौतम)
इम्पैनल्ड सर्जन,
श्या०प्रसा०मुख०, सिविल, अस्पताल, लखनऊ
सदस्य

(डा० वीरेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक(प०क०),
प०क० महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ
सदस्य सचिव

(नीना गुप्ता)
महानिदेशक,
संयोजक

(आलोक कुमार),
मिशन निदेशक,
अध्यक्ष